ई-मेल

बिहार सरकार

विधि विभाग

।। अ धि सू च ना ।।

संचिका संख्या-06/EH & S-02-03/2026 7476/जे0, पटना, दिनांक- 10.09.26

बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के प्रावधानों के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ विधि पदाधिकारियों की कोटि में **स्थायी समुपदेशक (SC)** के पद पर निम्नांकित अधिवक्ताओं को वचनबद्ध किया जाता है:-

क्र0सं0	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन संख्या	मोबाईल नम्बर
1.	Sri Satyendra Kumar Jha	4079/1995	9835491876
2.	Smt. Priyanka Raj Laxmi	2968/2003	9955241804
3.	Sri Sanjay Kumar Gupta	1076/2005	9304010307
4.	Sri Shyam Babu Prasad	BR/88/2015	8960216008
5.	Sri Pravin Kumar Jha	401/2006	7061379311
6.	Smt. Punam Kumari Singh	727/2000	9431860289
7.	Sri Ajay Mishra	1679/1998	9431623040
8.	Sri Brajesh Kumar Pandey	1049/2004	9110911458
9.	Sri Kinkar Kumar	2024/1998	9431459313
10.	Sri Anuj Kumar	365/2006	9431426125
11.	Sri Arvind Ujjwal	160/1982	9431094604
12.	Sri Sourav Suman	D/1949/2014	8745064263
13.	Sri Sarva Deo Singh	1012/1993	9431495234
14.	Dr. Anjani Prasad Singh	847/1996	9934040182
15.	Ms. Anukriti Jaipuriyar	2445/2007	8986903291
16.	Sri Harshvardhan Shiv Sundaram	2805/1998	9308455297
17.	Sri Chandra Shekhar Singh	3816/1999	7992374093
18.	Sri Sanjay Kumar	1893/2007	9431421178
19.	Smt. Bandana Singh	585/2010	8210173109
20.	Sri Awadesh Kumar Pandey	654/1980	9835019155
21.	Sri Hareram Singh	7350/1996	7004272367
22.	Sri Prabhu Narayan Sharma	3061/2001	9334034105
23.	Sri Priya Ranjan Kumar	689/2010	8825374487
24.	Sri Satya Deo Kumar	346/1985	9835639363
25.	Sri Brajesh Kumar Chopra	2516/2010	99304818582

क्र0पृ0उ0

26.	Sri Vijay Kumar	1992/1993	9431432147
27.	Sri Binay Krishna	2367/2002	9431623279
28.	Dr. Bipin Chandra	BR/385/2007	8051751291
29.	Sri Sanjay Kumar Azad	368/2007	9470893722
30.	Sri Amrit Anand	BR/1401/2014	9801306171
31.	Sri Satish Kumar	2651/2001	8002554072
32.	Smt. Parul Prasad	BR/1811A/2013	8588901604
33.	Sri Gyan Shankar	2516/2006	9771404428
34.	Sri Sanjeev Kumar Jha	2236/2006	9431687030
35.	Sri Sunil Kumar Karn	1659/1999	9835420540
36.	Sri Sadanand Paswan	332/1995	9430001717
37.	Sri Ram Anurag Singh	1215/1993	9835279588
38.	Sri Ram Tujabh Singh	1523/2000	8340640467
39.	Sri Ramanuj Tiwary	1672/2005	7033914409
40.	Sri Ravinder Kumar Sharma	3662/1999	9934066080

2. उक्त वचनबद्ध सभी **स्थायी समुपदेशक (SC)** को उनके नाम के पहले अंकित क्रम संख्या से ही जाना जायेगा। अर्थात् क्रम संख्या-01 में उल्लेखित नाम को स्थायी समुपदेशक संख्या-01 (SC-01) कहा जायेगा। यह क्रम परस्पर वरीयता का निर्धारण नहीं माना जायेगा।

3. उक्त सभी विधि पदाधिकारी वचनबद्धता के उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से सरकार के अगले आदेश तक पद को धारित करेंगे एवं देय शुल्क का भुगतान प्रभार ग्रहण की तिथि (पूर्वाह्न/अपराह्न को दृष्टिपथ में रखकर) से किया जायेगा।

4. उक्त सभी विधि पदाधिकारी को विधि विभागीय पत्रांक-1547/जे0, दिनांक-24.02.2023 एवं विधि विभागीय पत्रांक-118/जे0, दिनांक-08.01.2025 (समय-समय पर यथा संशोधित) अथवा भविष्य में राज्य सरकार द्वारा जो विनिश्चित की जायेगी, के अनुसार शुल्क भुगतान किया जायेगा। शुल्क की देयता के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश, भुगतान की प्रक्रिया में प्रभावी होगा।

5. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी किसी अन्य स्थान पर नियुक्त/वचनबद्ध हो एवं राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से Fixed मासिक शुल्क प्राप्त कर रहे हो या जो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी न्यायाधिकरण में प्रभारी सरकारी अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हो तो उन्हें पद से एक (01) माह के अन्दर त्याग-पत्र देना अनिवार्य होगा। अन्यथा इस संबंध में संज्ञान होने पर महाधिवक्ता की अनुशंसा पर उनकी वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

6. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी उक्त नियमावली के नियम-7 में निरर्हताएँ के संबंध में उल्लेखित शर्त्तो के अधीन किसी भी समय निरर्हक पाये जाते है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी वचनबद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

7. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी राज्य सरकार एवं महाधिवक्ता द्वारा जारी आदेश/निदेश/अनुदेश का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अनुपालन नहीं किये जाने की

स्थिति में समीक्षोपरांत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी वचनबद्धता राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

8. विधि पदाधिकारी सरकार के खिलाफ या सरकारी निगम/बोर्ड/अर्द्धनिकाय या जहाँ सरकार का कोई हित निहित है, के मामले में सरकार के विरूद्ध काम नहीं करेंगे, यह मामला उनकी वचनबद्धता की तिथि के पूर्व का ही क्यों न हो। ऐसे मामले दृष्टान्त में आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी।

9. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, उक्त नियमावली के नियम-8 में उल्लेखित कत्तव्यों का पालन करेंगे। नियम-8 में उल्लेखित कर्त्तव्यों के पालन में असफलता की स्थिति में विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श से विधि विभाग, बिहार के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विधि पदाधिकारी के कार्य से किसी भी समय मुक्त कर दिया जायेगा।

10. उक्त नियमावली के नियम-11 के आलोक में उक्त सभी वचनबद्ध विधि पदाधिकारी के कार्यो का मूल्यांकन महाधिवक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन उनके द्वारा विधि विभाग को भेजी जायेगी तथा समीक्षोपरांत विधि पदाधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उन्हें विधि पदाधिकारी के पद से विमुक्त कर दिया जायेगा।

11. सभी विधि पदाधिकारी अपने कार्यों की विवरणी, जिसमें उनके द्वारा निष्पादित केस एवं विशेष रूप से सरकार के पक्ष एवं विपक्ष में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए विद्वान महाधिवक्ता को प्रत्येक माह समर्पित करेंगे। इसमें यह भी उल्लेख करेंगे कि कितने मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल हुआ और कितने में नहीं हुआ।

12. विधि पदाधिकारियों को अपने आवंटित मामलों में सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय से विधि पदाधिकारी की अनुपस्थिति के शिकायत पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

13. सभी विधि पदाधिकारी, सरकार के विरूद्ध आदेश पारित होने पर महाधिवक्ता को सूचित करते हुए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को अपने परामर्श के साथ प्रतिवेदित करेंगे कि इस मामले में अपील/पुर्नविचार दायर किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र (अधिकतम एक सप्ताह के अंदर) अपने परामर्श के साथ संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे।

14. उक्त वचनबद्ध विधि पदाधिकारियों में प्रत्येक को 04 सहायक अधिवक्ता अनुमान्य होंगे। उक्त नियमावली के नियम-9 के आलोक में सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता महाधिवक्ता की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। सहायक अधिवक्ता की अनुमान्यता एवं इस संबंध में महाधिवक्ता की अनुशंसा से राज्य सरकार द्वारा भविष्य में किये जानेवाले विनिश्चय अथवा समय-समय पर इस संबंध में निर्गत आदेश लागू होगा।

15. सभी विधि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वचनबद्धता के दो माह के अंदर सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता हेतु अनुशंसा के संबंध में कार्रवाई कर ली जाय। साथ ही अगर बीच में किसी सहायक अधिवक्ता को हटाकर किसी दूसरे सहायक अधिवक्ता को वचनबद्ध किया जाता है तो सहायक अधिवक्ता को हटाने के एक सप्ताह के अंदर विधि विभाग को महाधिवक्ता के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा उसके एक महीने के अंदर दूसरे सहायक अधिवक्ता की वचनबद्धता हेतु अनुरोध किया जायेगा।

16. उक्त वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 में उल्लेखित सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।

17. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में स्थायी समुपदेशक (SC) के पद पर नियुक्ति/वचनबद्धता हेतु निर्गत पूर्व के सभी आदेशों को अवक्रमित किया जाता है।

18. यह आदेश, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्याः–7476**/जे0, पटना, दिनांक–**10.09.26,

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सी0डी0 प्रति (सॉफ्ट कॉपी) सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा 100 (सौ) गजट की प्रतियाँ इस विभाग में भेजने हेतु अग्रसारित।

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्याः–7476**/जे0, पटना, दिनांक–**10.09.26,

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्याः–7476**/जे0, पटना, दिनांक–**10.09.26,

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना एवं माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्याः–7476**/जे0, पटना, दिनांक–**10.09.26,

प्रतिलिपिः– महाधिवक्ता, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं वचनबद्ध सभी विधि पदाधिकारी, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.09.26

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्याः-7476**/जे0, पटना, दिनांक-**10.09.26,

प्रतिलिपिः- महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसे महाधिवक्ता कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्याः-7476**/जे0, पटना, दिनांक-**10.09.26,

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.09.26
(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।